विलियम्स

बनाम

लॉर्डुसेमी और अन्य

(सिविल अपील सं 2894-2895/2008)

अप्रैल 24, 2008

[एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर, न्यायमूर्तिगण]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- धारा 11-पूर्वन्याय- स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद-इस आधार पर कि वादी मौखिक करार के आधार पर वाद भूमि पर कब्जा था- विक्रेता को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया- दावा डिक्री किया गया- निर्णीत द्वारा स्वामित्व की उद्घोषणा का पश्चातवर्ती दावा डिक्री किया गया- प्रथम अपील में यथावत- उच्च न्यायलय ने द्वितीय अपील में अभिनिर्धारित किया कि निर्णीत ऋणी की पश्चातवर्ती अपील पूर्वन्याय से बाधित है- डिक्रीधारक का संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद उच्च न्यायालय तक खारिज रहा- अपील में अभिनिर्धारित किया गया कि वर्तमान वाद के तथ्य पूर्वन्याय के सिद्धांतों को आकर्षित नहीं करते- सम्पत्ति का स्वामी, जिसे पक्षकार स्वामित्व ओर हित का दावा कर रहे थे को पूर्ववर्ती वाद के पक्षकार नहीं बनाया गया- पश्चातवर्ती वाद में कायम किए गए विवाद्यक पूर्ववर्ती वाद के निस्तारण में विषय वस्तु नहीं थे- उच्च न्यायालय ने खुद को गलत प्रश्न में प्रस्तुत किया।

अपीलार्थी ने वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर मांग की कि वह प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ हुए मौखिक विक्रय करार से भूमि का स्वामी है। यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 2 को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। अपीलार्थी ने दावे का विरोध इस आधार पर किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ हुए पंजीकृत बैयनामे के कारण उसे अधिकार, स्वामित्व और हित प्राप्त हुए हैं। विचारण न्यायाधीश ने प्रथम प्रत्यर्थी के भूमि पर कब्जे के संबंध में विवाद्यक विरचित किए। उन विवाद्यकों पर वाद डिक्री किया गया।

तत्पश्चात् अपीलार्थी ने दोनों प्रत्यर्थीगण को पक्षकार संयोजित करते हुए दावा बाबत् स्वामित्व की उद्घोषणा और कब्जे की वापसी हेतु प्रस्तुत किया। प्रथम प्रत्यर्थी ने भी अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरुद्ध संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का दावा डिक्री किया, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 का दावा खारिज किया। प्रथम अपील न्यायालय ने दोनों निर्णयों के विरुद्ध की गयी अपीले खारिज की। द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि सम्पत्ति का कब्जा मौखिक करार की अनुपालना में निर्गमित किया जा चुका है। इसलिए पश्चातवर्ती वाद पूर्वन्याय के सिद्धांतों के कारण वर्जित था। इसलिए दोनों अपीलें।

अपीलों को अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-1. पूर्वन्याय का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों की अेार आकर्षित नहीं होता है।

पूर्वन्याय के सिद्धांत यद्यपि एक हितकारी सिद्धांत प्रदान करती है कि किसी व्यक्ति को बार-बार परेशान नहीं किया जाएगा, तथापि इसकी अपनी सीमाएं हैं। पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यर्थी संख्या 2 एक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया था। इसलिए उसकी अनुपस्थिति में यह विवाद्यक कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 2 विक्रय के मौखिक करार में शामिल हुआ या नहीं, अभिनिर्णीत नहीं किया जा सकता। इस संबंध में उक्त न्यायलय को क्षेत्राधिकार नहीं था। अगर दावे में वो निर्णय लिया गया था तो निष्कर्ष शून्य होंगे। ऐसा विवाद्यक नहीं बनाया गया। [पारस 11,12 और 14] [935-ए, बी, सी; 937-डी, ई]

सज्जादानशीन सैयद एम.डी. बी.ई. ईडीआर. (मृतक) जरिए विधिक वारिसान बनाम मूसा दादाभाई उमर और अन्य. 2000(3) एससीसी 350.

मुख्य न्यायाधीश आंध्रप्रदेश और अन्य वगैरह बनाम एल वी ए दीक्षितुलु और अन्य. ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 193; हाशम अब्बास सैयद बनाम उस्मान अब्बास सैयद और अन्य. 2007 (2) एससीसी 355- संदर्भित किया गया।

2.1 स्थायी निषेधाज्ञा के एक वाद में न्यायालय ने इस आधार पर उचित रूप से कार्यवाही की थी कि दावे की प्रस्तुति की दिनांक को प्रथम प्रत्यर्थी विवादित भूमि पर काबिज था या नहीं। किसी अन्य प्रश्न में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्यर्थी मौखिक विक्रय करार की शर्तों के अनुसार कब्जे में था यह प्रश्न विवाद्यक नहीं था। प्रत्यर्थी संख्या 2 को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया था। उक्त वाद में संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना की डिक्री बाबत् प्रार्थना नहीं की गयी थी। न तो एेसे अभिकथन किए गए और न ही विधि में एेसा किया जा सकता था कि सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 ए के अंतर्गत संविदा की आंशिक अनुपालना के द्वारा उसे कब्जा दिया जा सके। [पैरा 5 और 12] [935-डी; 933-ए, बी]

2.2 यह कहना एक बात है कि एक व्यक्ति वाद सम्पत्ति पर काबिज है और यह कहना दूसरी बात है कि उसे विक्रय के करार के अग्रसरण में कब्जे का अधिकार है, जो न केवल उसको बाध्य करेगा, बल्कि पश्चातवर्ती पूर्वज को भी बांधेगा। यदि ऐसा कोई विवाद्यक बनाया गया होता तो अपीलार्थी या प्रत्यर्थी संख्या 2 यह तर्क दे सकता था कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए का कोई अनुप्रयोग नहीं है। धारा 53 ए को लागू करने के लिए लिखित में एक करार करना होगा। उक्त धारा आंशिक निष्पादन के न्यायसंगत सिद्धांत को लागू करने का प्रावधान करती है।

इसके लिए अपेक्षित सामग्री अभिवचित और साबित होनी चाहिए। [पैरा 13] [935-ई, एफ, जी]

3. एक सक्षम न्यायालय ने प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि प्रत्यर्थी मौखिक करार के अस्तित्व को साबित करने में विफल रहा। यदि संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद प्रथम प्रत्यर्थी के पक्ष में डिक्री नहीं किया गया तो करार के आंशिक निष्पादन में उसके कब्जे में रहने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। [पैरा 14] [935-जी, एच; 936-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2894-2895/2008

उच्च न्यायालय मद्रास के एस.ए. नंबर 1759-1760/1991 दिनांक 19.08.2002 के अंतिम निर्णय से।

वी. प्रभाकर, रामजी प्रसाद और एम.के.डी. नंबूदिरी- अपीलकर्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में पूर्वन्याय का सिद्धांत लागू है या नहीं, यह प्रश्न अंतर्वलित है। मामले का मूलभूत तथ्य विवाद नहीं है। द्वितीय प्रत्यर्थी संपत्तियों का स्वामी था। उसने पंजीकृत विक्रय पत्र

दिनांकित 25.11.1987 के द्वारा अपना अधिकार, स्वत्व और हित अपीलार्थी को अंतरित कर दिया।

3. हालाँकि, प्रथम प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के विरुद्ध जिला मुंसिफ, तिरुवैयारु के न्यायालय में एक दावा संस्थित किया और स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री की प्रार्थना यह कहते हुए की कि दावे में वर्णित 3 सेंट भूमि उसके व द्वितीय प्रत्यर्थी के बीच विक्रय के मौखिक करार की विषय-वस्तु थी। यह तर्क दिया गया कि द्वितीय प्रत्यर्थी ने कुडियिरुप्पु अधिनियम, 1971 की धारा 40 के तहत निष्पादित पट्टे के संदर्भ में उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया था।

दूसरी ओर अपीलार्थी का तर्क यह था कि दिनांक 25.11.1987 के उपरोक्त विक्रय विलेख के अनुसार द्वितीय प्रत्यर्थी ने उसका कब्जा करवा दिया था।

4. उक्त वाद में विचारण न्यायाधीश नेनिम्नलिखित विवाद्यक विरचित किएः-

I) क्या वाद की दिनांक को वादी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा था?

ii) क्या वादी प्रार्थना के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी है?

iii) वादी और किस अनुतोष का अधिकारी है?

5. यह प्रश्न कि क्या प्रत्यर्थी को विक्रय करार की शर्तों के अनुसार कब्जा दिया गया, विवाद्यक नहीं था। प्रत्यर्थी संख्या 2 जैसा ऊपर अवलोकित किया गया है, एक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। उक्त वाद में संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना की डिक्री की प्रार्थना नहीं की गई थी। न तो कोई अभिकथन किया गया और न ही विधि में ऐसा किया जा सकता था कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 ए के तहत परिकल्पित करार के आंशिक निष्पादन के माध्यम से कब्जा दिया गया था।

6. हालांकि, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने माना कि प्रथम प्रत्यर्थी दावा प्रस्तुत करने की दिनांक को भूमि पर कब्जे में था और इस तरह स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की गयी।

7. तत्पश्चात् अपीलार्थी ने स्वामित्व की उद्घोषणा और कब्जा प्राप्ति का वाद संस्थित किया, जिसे ओ.एस. नंबर 182/1989 के रूप में चिह्नित किया गया। इसमें दोनों प्रत्यर्थीगण को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया। प्रथम प्रत्यर्थी ने भी अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरुद्ध संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद संस्थित किया। उक्त वाद ओ.एस. नंबर 93/1993 के रूप में पंजीकृत किया गया।

दोनों ओ.एस. 182/1989 और ओ.एस. 93/1990 समेकित किए गए। दिनांक 07.11.1990 के निर्णय और आदेश द्वारा विद्वान विचारण

न्यायाधीश ने प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा संस्थित संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का दावा खारिज कर दिया और अपीलार्थी के स्वामित्व की उद्घोषणा और कब्जे के पुष्टिकरण का वाद अनुमत किया।

8. प्रथम प्रत्यर्थी ने दो अपीलें प्रस्तुत की, जो दिनांक 28.08.1991 को जिला न्यायाधीश, तंजावुर (पश्चिम) ने अपने निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दी। प्रथम प्रत्यर्थी ने दो द्वितीय अपीलें उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीं।

उच्च न्यायालय की राय थी कि उसके समक्ष प्रस्तुत अपीलार्थी (यहाँ प्रत्यर्थी संख्या 1) द्वारा उठाए गए विधि का सारभूत प्रश्न पूर्वन्याय के सिद्धांतों की प्रयोज्यता के संबंध में था।

उक्त ओ.एस. 402/1987 में विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा की गई कुछ छिटपुट टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि संपत्ति का कब्जा विक्रय के मौखिक करार के आधार पर दिया गया था, इसलिए पूर्वन्याय के सिद्धांत आकर्षित होते हैं।

9. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी. प्रभाकर ने अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के बीच विक्रय के मौखिक करार के संबंध में कोई विवाद्यक विचरित नहीं किया गया और न ही अे◌ा.एस. नंबर 402/1987 में विद्वान विचारण न्यायाधीश ने इस पर कोई निष्कर्ष दिया। आक्षेपित निर्णय पूरी तरह से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

10. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय को ऐसा दावा या विवाद्यक सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है जो पूर्व में पूर्णतया या सारतः उन्हीं पक्षों के मध्य विवाद्यक रहा हो।

इसके साथ संलग्न स्पष्टीकरण 8 इस प्रकार है:

> "धारा 11. पूर्वन्याय - कोई भी न्यायालय ऐसे किसी दावे या विवाद्यक की सुनवाई नहीं करेगा, जिसमें मामला प्रत्यक्षतः और सारतः पूर्ववर्ती वाद में उन्हीं पक्षकारों के बीच या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतया सुनकर निस्तारित किया गया हो।
>
> स्पष्टीकरण। *** *** ***
>
> स्पष्टीकरण ॥ *** *** ***
>
> **********
>
> स्पष्टीकरण VIII.- ऐसा विवाद्यक जो सीमित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा सुना गया और अंतिम रूप से तय किया गया, जो इस तरह के विवाद्यक पर निर्णय लेने में सक्षम है, पश्चातवर्ती वाद में में पूर्व न्याय के रूप में लागू होगा, भले ही सीमित क्षेत्राधिकार वाला ऐसा न्यायालय ऐसा पश्चातवर्ती वाद

सुनने में सक्षम नहीं हो या उस वाद को सुनने में सक्षम नहीं था, जिसमें ऐसा विवाद्यक उठाया गया।"

11. पूर्वन्याय के सिद्धांत हालांकि एक हितकारी सिद्धांत प्रदान करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बार-बार परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। ओ.एस. नंबर 402/1987 में प्रत्यर्थी संख्या 2 को एक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया था। इसलिए उसकी अनुपस्थिति में इस विवाद्यक पर निर्णय नहीं लिया जा सकता था कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने मौखिक विक्रय करार किया या नहीं। उक्त न्यायालय के पास इस संबंध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। यदि उक्त वाद में यह निर्णय लिया गया होता, तो निष्कर्ष निरर्थक होते।

[देखें- आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य आदि बनाम एल.वी.ए. दीक्षितुलु और अन्य एआईआर 1979 एससी 193 पर 198 और हशम अब्बास सैय्यद बनाम उस्मान अब्बास सैय्यद और अन्य (2007) 2 एससीसी 355]

12. सच तो यह है कि ऐसा कोई विवाद्यक विचरित नहीं किया गया था। इसलिए हमारी राय में उच्च न्यायालय ने अपने सामने एक गलत प्रश्न उठाया। स्थायी निषेधाज्ञा के एक वाद में न्यायालय ने इस आधार पर सही कार्यवाही की थी कि वाद संस्थित होने की तिथि पर प्रथम प्रत्यर्थी के पास

विवादित भूमि का कब्जा था या नहीं। किसी अन्य प्रश्न में शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में नहीं थी।

13. यह कहना एक बात है कि एक व्यक्ति वाद सम्पत्ति पर काबिज है और यह कहना दूसरी बात है कि उसे विक्रय के करार के अग्रसरण में कब्जे का अधिकार है, जो न केवल उसको बाध्य करेगा, बल्कि पश्चातवर्ती पूर्वज को भी बांधेगा। यदि ऐसा कोई विवाद्यक बनाया गया होता तो अपीलार्थी या प्रत्यर्थी संख्या 2 यह तर्क दे सकता था कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए का कोई अनुप्रयोग नहीं है। धारा 53 ए को लागू करने के लिए लिखित में एक करार करना होगा। उक्त धारा आंशिक निष्पादन के न्यायसंगत सिद्धांत को लागू करने का प्रावधान करती है। इसके लिए अपेक्षित सामग्री अभिवचित और साबित होनी चाहिए।

14. एक सक्षम न्यायालय ने पहले प्रत्यर्थी द्वारा संस्थित संविदा की विनिर्दिष्ट के वाद को यह कहते हुए खारिज दिया है कि प्रत्यर्थी मौखिक करार के अस्तित्व को साबित करने में विफल रहा है। यदि संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद प्रथम प्रत्यर्थी के पक्ष में डिक्री नहीं किया गया तो संविदा के आंशिक अनुपालना में उसका कब्जे में बने रहने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अपीलार्थी ने यहाँ स्वामित्व की उद्घोषणा और कब्जे की वापसी के लिए वाद दायर किया। वह इस आधार पर आगे बढ़ा कि प्रथम प्रत्यर्थी कब्जे में था।

हमारी राय में विद्वान विचारण न्यायाधीश और प्रथम अपील न्यायालय ने यह सही निर्णीत किया कि पूर्वन्याय के सिद्धांत इस प्रकरण में आकर्षित नहीं होते।

सज्जादानशीं सैयद एमडी बीई ईडीआर (मृतक) जरिए विधिक वारिसान बनाम मूसा दादाभाई उमर और अन्य [(2000) 3 एससीसी 350] इस न्यायालय ने उन मामलों पर विचार किया, जहां विशिष्ट मुद्दे और पहले के मुकदमे में प्रतिकूल निष्कर्ष के बावजूद, इसे पूरी तरह से आकस्मिक या सहायक या संपार्श्विक होने के कारण पूर्वन्याय के रूप में नहीं माना गया था। मुख्य मुद्दे पर बताते हुए:

> "24 इस बिंदु से अलग होने से पहले, हम दो और फैसलों का उल्लेख करना चाहेंगे। सुलोचना अम्मा बनाम नारायणन नायर में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पूर्व के निषेधाज्ञा के दावे में स्वामित्व के संबंध में दिया गया निष्कर्ष पश्चातवर्ती स्वामित्व के दावे में पूर्वन्याय होगा। दूसरी ओर मद्रास उच्च न्यायालय ने वनागिरी श्री सेलियाम्मन अय्यनार

उथिरासोमासुंदरेश्वर मंदिर बनाम राजंगा असारी मामले में अभिनिर्धारित (पैरा 8 देखें) किया कि पूर्ववर्ती वाद केवल फसल के संबंध में निषेधाज्ञा का था। चाहे उसमें स्वामित्व निर्णीत किया गया हो, तथापि वादपत्र में सम्मिलित नहीं था। पश्चातवर्ती स्वामित्व के दावे में पूर्ववर्ती स्वामित्व के दावे का निष्कर्ष पूर्वन्याय के रूप में लागू नहीं होगा, क्योंकि पूर्ववर्ती दावा मात्र कब्जे के अधिकार के बाबत् था। हमारी राय में इन दो निर्णयों को एक-दूसरे के विपरीत नहीं कहा जा सकता, परंतु उपरोक्त परीक्षण के संदर्भ में इन्हें समझा जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक शायद सही हो, अगर उनको उपरोक्त परीक्षण के प्रकाश में समझा जावे। इस न्यायालय द्वारा तय किए गए पहले मामले में, यह माना जाना चाहिए कि ऊपर उल्लिखित परीक्षण इस बात से संतुष्ट थे कि कब्जे के संबंध में निष्कर्ष काफी हद तक सही था। स्वामित्व, जिस पर एक निष्कर्ष आवश्यक महसूस किया गया था और बाद के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया था, यह माना जाना चाहिए कि परीक्षण संतुष्ट नहीं थे। जैसा कि मुल्ला में कहा गया है, यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों पर

निर्भर करता है और क्या स्वामित्व के बारे में निष्कर्ष को पहले के मुकदमे में निषेधाज्ञा देने के लिए आवश्यक माना गया था और निषेधाज्ञा देने के लिए मूल आधार भी था। इस संदर्भ में, हम कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम (खंड 50, पैरा 735, पृष्ठ 229) का उल्लेख कर सकते हैं जहां स्वामित्व पर निष्कर्षों और स्वामित्व पर आकस्मिक निष्कर्षों के संबंध में एक समान पहलू से निपटा गया था।

जहां संपत्ति का स्वामित्व, कब्जे के अधिकार का आधार हो, वहां कब्जे के प्रश्न पर निर्णय पूर्वन्याय है। जहां स्वामित्व का निर्णय, निर्णय के लिए आवश्यक था; परंतु जहां केवल कब्जे के अधिकार का विवाद्यक वास्तविक व आवश्यक रूप से अंतर्वलित हो, वहाँ स्वामित्व या शीर्षक के प्रश्न पर निर्णय निर्णायक नहीं है।"

उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित कानून के सिद्धांत का पालन करते हुए, हमारी राय है कि पूर्वन्याय का सिद्धांत मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

15. उपरोक्त कारणों से आक्षेपित निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता, जो अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की गयी। हालांकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकार की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुरेश कुमार-I (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।